कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ।
पत्रांक 1606 / दिनांक 06 / दिसम्बर/2017

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी बरेली वृत्त बरेली।

विषयः– जनपद बदायूँ में मेरठ–बदायूँ मार्ग (राज्य मार्ग सं0–18) के किमी0 163 से 208(400) तक के भाग में दो लेन से चार लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु मार्ग के दोनों ओर पड़ने वाले वृक्षों के पातन एवं 64.60 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की एवं इसमें स्थापित 11256 वृक्ष एवं 28 है0 क्षेत्र के विशिष्ट वृक्षारोपण में 14875 पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/53/2017/एफ0सी0/78 दि0 16–08–2017

महोदय,

विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, इस पत्र में उल्लेखित है कि प्रश्नगत प्रकरण में पूर्व में प्रस्तावित वृक्षों की संख्या 10647 थी, जो कि पुनः संशोधित आन लाइन पार्ट–2 में अपलोड वृक्षों की संख्या–11620 दर्शित है, जबकि 11256 वृक्ष अंकित है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुल प्रस्तावित वृक्षों की संख्या– 11256 है। अपलोड वृक्षों की संख्या– 11620 हुयी थी, उसे संशोधित कर 11256 कर दिया गया है। पूर्व के प्रस्ताव में एवं वर्तमान के प्रस्ताव में वृक्षों की संख्या में वृद्वि का कारण तत्समय 0–30 गोलाई वर्ग में ऊपर वृद्वि होने के कारण परिवर्तन हुआ है। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत प्रकरण में किमी0 163 से 208(400) के मध्य 28 है0 विशिष्ट वृक्षारोपण भी समाहित है। जिसमें 0–30 व्यास वर्ग में कुल पौधों की संख्या– 14875 है। जिसका किमी0 वार प्रजातिवार विवरण प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है, जो कि अतिरिक्त सूचना के रूप में प्रस्ताव के पार्ट–2 में अपलोड कर दिया गया है। इस प्रकार से प्रश्नगत प्रकरण में 11256 वृक्ष एवं 14875 पौधे प्रभावित है। जिसका विदोहन आवश्यक होगा।

प्रश्नगत सन्दर्भित पत्र के कम में उठाये गये बिन्दुओं की बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रस्तुत की जा रही है–

क्र सं	आपत्ति	क्र. सं.	निराकरण
1	सन्दर्भित पत्र के बिन्दु–2 के कम में संशोधित पावर आफ अटार्नी को आनलाइन पार्ट–1 के Additional Information Detail पर अपलोड नही किया गया है। अपलोड कराने का कष्ट करें।	1	सन्दर्भित पत्र के बिन्दु के कम में संशोधित पावर आफ अटार्नी को आनलाइन पार्ट–1 के Additional Information Detail पर अपलोड कर दिया गया है।
2	सन्दर्भित पत्र के बिन्दु–9 के कम में वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट को ऑनलाइन पार्ट–2 पर अपलोड नही किया गया है।	2	सन्दर्भित पत्र के बिन्दु–9 के कम में वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट को ऑनलाइन पार्ट–2 पर अपलोड कर दिया गया है।
3	सन्दर्भित पत्र के बिन्दु–10 के कम में उ0प्र0 शासन द्वारा पार्ट–5 पर की गयी संस्तुति को आन लाइन पार्ट–2 पर अपलोड नही किया गया है। अपलोड	3	सन्दर्भित पत्र के बिन्दु–10 के कम में उ0प्र0 शासन द्वारा पार्ट–5 पर की गयी संस्तुति को आन लाइन पार्ट–2 पर अपलोड कर दिया गया है।

	करने का कष्ट करें।		
4	सन्दर्भित पत्र के बिन्दु–12 के कम में परियोजना के 10 किमी0 की परिधि में कोई सेंचुरी/वन्यजीव विहार न होने सम्बन्धी अभिलेख जो कि प्रस्ताव के पृष्ठ–39 पर संलग्न है, मलवा निस्तारण योजना जो कि प्रस्ताव के पृष्ठ–81 पर संलग्न है, प्रभागीय निदेशक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट जो कि प्रस्ताव के पृष्ठ–40 पर संलग्न है, को आनलाइन पार्ट–2 पर अपलोड नही किया गया है, अपलोड करें। उक्त के अतिरिक्त शुद्व वर्तमान मूल्य की धनराशि जमा करने हेतु प्रयोक्ता एजेंसी की वचनबद्वता में भविष्य में दरों में बढ़ोत्तरी होने पर उक्त बढ़ी हुयी धनराशि जमा किये जाने का उल्लेख नही है, उक्त अंश का समावेश करते हुये संशोधित वचनबद्वता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न करें व ऑनलाइन अपलोड कराने का कष्ट करें।	4	सन्दर्भित पत्र के बिन्दु–12 के कम में परियोजना के 10 किमी0 की परिधि में कोई सेंचुरी/वन्यजीव विहार न होने सम्बन्धी अभिलेख जो कि प्रस्ताव के पृष्ठ–39 पर संलग्न है, मलवा निस्तारण योजना जो कि प्रस्ताव के पृष्ठ–81 पर संलग्न है, प्रभागीय निदेशक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट जो कि प्रस्ताव के पृष्ठ–40 पर संलग्न है, को आनलाइन पार्ट–2 पर अपलोड कर दिया गया हैं। उक्त के अतिरिक्त शुद्व वर्तमान मूल्य की धनराशि जमां करने हेतु प्रयोक्ता एजेंसी की वचनबद्वता में भविष्य में दरों में बढ़ोत्तरी होने पर उक्त बढ़ी हुयी धनराशि जमा किये जाने का उल्लेख कर दिया गया है, उक्त अंश का समावेश करते हुये संशोधित वचनबद्वता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है एवं ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त संशोधित प्रस्ताव स्वीकृति हेतु उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– प्रस्ताव तीन प्रतियों में।

(के0के0 गुप्ता)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
बदायूँ

भवदीय

(रत्नेश श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ।